31.03.21

संख्या- 923 /III(2)/21-05(एम0एल0ए0)/2017T.C.II

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CAO-II
01/04/21
धन सिंह कुटियाल
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 30 मार्च, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत विभिन्न 04 निर्माण कार्यो (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौडी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के 04 आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 8.50 किमी0, एवं लागत कमशः **₹ 94.78 लाख** है, पर **शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 94.78 लाख (₹ चौरानबे लाख अठहत्तर हजार मात्र)** की **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु **₹ 0.10** लाख प्रति कार्य अर्थात 04 कार्य हेतु **₹ 0.40** (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रकियात्मक कार्यो को समयबद्व रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैंयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिर्पोट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190(पी.डब्लू.डी.)/2001 टी.सी.II दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(ii) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैंयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(v) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशो का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सडक निर्माण कार्य-04-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00 -54 भूमि कय में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्त एवं समयबद्वता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सडक निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–0302 नया निर्माण कार्य–53 वृहत निर्माण कार्य **(5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित)** के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या- 1131 /XXVII(2)/2021 दिनांक 30 मार्च 2021में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नःयथोपरि।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/III(2)/21-05(एम0एल0ए0)/2017T.C.-II तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि. पौडी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, 7वॉ वृत्त, लो.नि.वि. गोपेश्वर।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., थराली।
11. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्याः– 923 /III(2)/21-05(एम0एल0ए0)/2017 T.C.I दिनांक 30 मार्च, 2021 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई कि0मी0	शासन द्वारा अनु. लागत (लाख ₹ में)	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1.	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत खम्पाधार चिडीन्गा मोटर मार्ग के किमी0 03 से सब्जी तोक तल्ला ग्वालदम तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1.00	27.16	**0.10**
2.	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड थराली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्मात कुलसारी–रामपुर मोटर मार्ग के रामपुर से नौणा–बज्वाड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथमचरण)	2.00	18.32	**0.10**
3.	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली विकासखण्ड थराली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग परखाल–ईडा के नागाड गधेरे से ग्राम सणकोट के तोक देवार होते हुये रा0 उच्चतर माध्यमिक स्कूल सणकोट तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3.00	26.40	**0.10**
4	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड नारायणबगड़ के मोटर मार्ग बनेला–सिमली–कोठा के सिमली गधेरे मोटर पुल से ग्राम केई तक 2.5 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	2.5	22.90	**0.10**
	कुल	**8.50**	**94.78**	**0.40**

(₹ चालीस हजार मात्र)

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

3/31/2021

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -923/III(2)/21-5(MLA)2017TCII
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21030220067
आवंटन पत्र दिनांक-30-MAR-2021

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-District and other Roads
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	4270000	40000	0	4310000
योग	4270000	40000	0	4310000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.40,000 (Rupees Forty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd
E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 321 /20 याता0'क'/2021 दिनांक–03 .04.2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 7 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष